संख्या– 821 /XLII–1/2017–05(14)2011

प्रेषक,

उषा शुक्ला,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

)2011

सेवा में,

1. निदेशक,
संस्कृत शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

2. कुलसचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय,
हरिद्वार।

3. सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद,
देहरादून।

4. सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादूनः दिनांक 05 सितम्बर, 2017

विषय–संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने के सम्बन्ध में।

7

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राजभाषा अधिनियम, 2009 के द्वारा 'संस्कृत' भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है। संस्कृत भाषा के संवर्द्धन एवं व्यापक प्रचार–प्रसार राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। इसी उद्देश्य के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संस्कृत भाषा के व्यापक प्रचार–प्रसार, संवर्द्धन एवं उक्त भाषा को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु संस्कृत शिक्षा विभाग एवं उसके अधीन समस्त कार्यालयों/संस्थानों की नाम पट्टिकाओं/बोर्ड में हिन्दी के साथ–साथ संस्कृत भाषा भी अंकित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने एवं अपने अधीनस्थ विभाग/संस्थानों में उपरोक्त निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(उषा शुक्ला)
सचिव।

संख्या– 821 (1)/XLII–1/2017–05(14)2011 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद प्रसाद रतूड़ी) 5/9/17

अपर सचिव।